

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 62/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

आई डी बी आई बैंक लि. अरिहन्त कार्नर, टीबीजेड चला रोड के सामने, व्यापी, जिला बलसाड,  
गुजरात।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स पदमावती डिस्ट्रिब्यूटर  
पता-फ्लैट नं. 302, सुभम टावर-2, कोसमास बैंक के उपर, चला रोड, व्यापी, गुजरात।
2. श्री विकास जैन पार्टनर एवं बन्धकर्ता मैसर्स पदमावती डिस्ट्रिब्यूटर  
फ्लैट नं. 404, सुभम टावर-1, टाटा शोरूम के सामने, चला रोड, व्यापी, गुजरात
3. श्री नितिन जैन पार्टनर मैसर्स पदमावती डिस्ट्रिब्यूटर  
फ्लैट नं. 604, सुभम टावर-2, कोसमास बैंक के उपर, चला रोड, व्यापी, गुजरात।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation  
and reconstruction of financial assets and enforcement  
of security interest Act. 2002



1. श्री आशीष तिवाडी अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 22.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.06.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी विकास जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी/121, एआरजी पुरम, ग्राम हरध्यानपुरा, नायला रोड, कानोता, जयपुर 365 वर्गफिट को बन्धक रख कर होम लोन राशि 15,00,000/-रुपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट,  
(कलक्टर) जयपुर

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,53,175/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.04.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी विकास जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी/121, एआरजी पुरम, ग्राम हरध्यानपुरा, नायला रोड, कानोता, जयपुर 365 वर्ग फिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/2/21  
(अन्तर सिंह नेहरो)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर